...यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...सल संख्या :—444/2022 निर्णय दिनांक :— 21.05.2024

1. प्रेम देवी पत्नि मडाराम जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. मन्दोरी पत्नि बाबूलाल जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. सुशीला पत्नि कालूराम जाति कुमावत उम्र बालिग निवासी रामथला तहसील देवली जिला टोंक राज0

—प्रार्थीगण—

—बनाम—

1. सुनिता कुमारी पत्नि मोडूलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी टोकरावास, बूंदी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

श्री अनिल भूरेठा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

सत्यनारायण धाकड़
अप्रार्थीगण संख्या 1
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थियागण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आरांजीयात कृषि भूमि हाल खाता संख्या 382 खसरा नम्बर 2067/194 रकबा 1.00 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 1.00 है0 वाके तनग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से पहले गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 174 व 199 एवं अप्राथी नं. 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम रामथला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण काफी समय से ही देवली—केकड़ी मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 174 व 199 किश्म गै. मु. रास्ता से होकर अप्रार्थी नं. 1 की उक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि में मेड/रास्ता से अपनी उक्त

खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में आती–जाती रही है तथा इसी रास्ते से ...यागण काफी समय से कृषि यंत्र लाकर एवं ले जाकर उक्त भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग में लेती आ रही है। प्रार्थियागण के द्वारा हाल ही में अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में फसल काश्त हेतु हकाई की थी तब भी प्रार्थियागण अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी की उक्त रास्ते से होकर अपनी भूमि में हंकाई एवं अन्य काश्तकारी कार्य कर इसी रास्ते से अपने कृषि यंत्र बिना किसी विवाद के लाये एवं ले गये हैं। हाल में प्रार्थियागण अपनी खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि में आगे की फसल काश्त करने हेतु ट्रेक्टर–हल लेकर मौके पर गई तो अप्रार्थी नं 1 ने प्रार्थियागण को उक्त रास्ते से निकलने नहीं दिया और अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा प्रार्थियागण को कहा कि अब मैं इस रास्ते पर तारबंदी करूंगा। इसलिए तुम अपनी भूमि में आने–जाने हेतु कोई और रास्ता बनाओ। प्रार्थियागण के द्वारा अप्रार्थी नं. 1 को काफी समय से इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करने की बात कहने पर भी अप्रार्थी नं. 1 ने प्रार्थियागण को निकलने नहीं दिया और रास्ते को बंद कर अवरूद्ध कर दिया। जिससे प्रार्थियागण को काफी परेशानियो एवं क्षतियां उठानी पड़ी है। वर्तमान में काश्तकारी का समय है। अप्रार्थी नं. 1 के द्वारा उक्त रास्ते को बंद/अवरूद्ध कर दिये जाने से प्रार्थियागण अपनी भूमि में फसल काश्त करने से वंचित एवं महरूम हो रही है। फसल काश्त करने से पूर्व खेतो की हंकाई करने में परेशानी उत्पन्न होगी। इस कारण प्रार्थियागण को अप्रार्थी नं. 1 की उक्त वर्णित भूमि से विधिवत् रूप से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाना आवश्यक है। यदि प्रार्थियागण को उक्त भूमि में से रास्ता नहीं दिलवाया गया तो प्रार्थियागण अपनी खातेदारी भूमि में आ–जा नहीं सकेगी तथा ना ही फसल काश्त कर पायेगी तथा प्रार्थियागण व इनके परिवारजन भूखे मर जायेगें। अप्रार्थी नं. 2 लेण्ड हॉल्डर होने होने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थियागण की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश प्रार्थियागण रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थियागण को अपनी

...। की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 382 खसरा नम्बर 2067/194 रकबा 1. है0, कुल किता 1 कुल रकबा 1.00 है0 वाके तनग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, पर आने-जाने एवं काश्तकारी कार्य कर उपयोग-उपभोग करने हेतु अप्रार्थी नं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम रामथला में स्थित कदीमी रास्ते की भूमि में से लगभग 30 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता आलोक शर्मा ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थीगण प्रेमदेवी द्वारा तारीख पेशी दिनांक 22.08.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सीपीसी पेश किया।

तारीख पेशी दिनांक 29.09.23 को बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।

संशोधित शीर्षक पेश हुआ, जिसमें पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 पदमचंद पुत्र चांदमल जाति महाजन के स्थान पर सुनिता कुमारी पत्नी मोडूलाल जाति मीणा अप्रार्थी संख्या 1 को पक्षकार बनाया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर अधिवक्ता सत्यनारायण धाकड़ ने वकालतनामा पेश कर, दस्तावेज व जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:-प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 मे प्रार्थीयागण की भूमि होना स्वीकार है जो कुछ समय पहले प्रार्थीयागण ने क्रय की थी जो खसरा नम्बर 2067/194 व खसरा नम्बर 2066/194 शामलाती भूमि थी जिसके मूल खसरा नम्बर 194 थे जिसको प्रार्थीयागण व अन्य सहखातेदारान ने अप्रार्थी को हेरान परेशान करने के उद्देश्य से बंटवारा कराकर मनगढ़न्त तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 में गै0 मु0 रास्ता खसरा नम्बर 174, 199 होना स्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 0.84 है0 पूर्व के खातेदार से जरिये रजि0

पत्र खरीद की थी जिसमे से प्रार्थीयागण का अपनी खातेदारी की भूमि मे कृषि र्य करने हेतु आना जाना नही रहा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीयागण कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि कय करने के बाद व उससे पूर्व अपनी आराजीयात पर नही गई है। प्रार्थीयागण ने उक्त भूमि चकोली पत्नि रामपाल, धर्मचन्द, नेमीचन्द, नरेश, बीना पिसरान रामपाल महाजन निवासी रामथला से कय की थी। प्रार्थीयागण के खातेदारी के आराजीयात के खसरा नम्बर 2067/194 रकबा 1.81 है0 थे जिसके मूल खसरा नम्बर 194 रकबा 1.81 है0 थे जिसमे से 1.00 है0 जमीन प्रार्थीयागण ने खरीदी एवं 0.81 है0 जमीन अमित जैन निवासी बीजवाड़ ने खरीदी है जिसके खसरा नम्बर 2066/194 है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीयागण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि मे से होकर आना जाना व कृषि यंत्र ले जाने वाली बात सरासर झूठी है क्योंकि पूर्व के खातेदार उक्त आराजीयात पर खसरा नम्बर 195 व 196 में से होकर आते जाते थे। पूर्व के खातेदारो ने भी उक्त आराजीयात पर रास्ता प्राप्त करने के लिये श्रीमान के न्यायालय मे आवेदन किया था जिसमे उन्होने लिखा था कि वह खसरा नम्बर 196 की मेर पर से होकर अपनी भूमि पर आते जाते है। प्रार्थीयागण व उक्त आराजीयात के पूर्व के खातेदार चारोली आदि कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 की कयशुदा खातेदारी की भूमि मे से होकर नही गये है और ना ही मोके पर कदीमी रास्ता बना हुआ है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 गलत है, स्वीकार नही है प्रार्थीयागण के पास अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिये पहले ही रास्ता मोजूद है। प्रार्थीयागण को किसी प्रकार के रास्ते आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7, 8, 9, 10 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। **विशेष आपत्तियां** :– प्रार्थीयागण की कयशुदा आराजी खसरा नम्बर 2067/194 व पड़ोसी खातेदार अमित की भूमि खसरा नम्बर 2066/194 के मूल खसरा नम्बर 194 थे जिनके पूर्व खातेदार चारोली आदि आराजी खसरा नम्बर 195, 196 की मेर पर से आते जाते थे लेकिन उक्त आराजी को प्रार्थीयागण व अन्य

...र अमित कुमार द्वारा क्रय कर विभाजन करवाकर अलग–अलग खसरा नम्बर ...म करवा लिये। जबकि क्रय करने से पूर्व के खातेदार चारोली आदि अपनी आराजीयात पर आराजी खसरा नम्बर 195 व 196 की मेर पर से होकर आते जाते थे। लेकिन आराजी खसरा नम्बर 195 व 196 के खातेदार जो प्रार्थीयागण के पारिवारिक सदस्य व भाईबंध है, उनकी भूमि मे से रास्ता नही लेकर अप्रार्थी संख्या 1 को हेरान परेशान करने व जोत को नुकसान कारित करने के उद्देश्य से मनगढ़न्त तथ्यो के आधार पर श्रीमान के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 बाहरी होने व महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीयागण अपनी भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि में से रास्ता लेना चाहती है जिसका कि प्रार्थीयागण को कोई अधिकार नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 78 मीटर तथा चौडाई 9.20 मीटर कुल 718 वर्गमीटर है। प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 428501 रूपये प्रति हैक्टेयर जिसकी एक गुणा राशि 30766 व दुगुनी 61532 रूपये है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है।प्रार्थी जिस खसरा में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड़ संरचना इत्यादि नहीं है। अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की छायाप्रति संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थीगण के पास उसकी आराजी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। जिसके कारण प्रार्थीगण को अपने आराजी में पहुंचने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि से रिकॉर्डेड रास्ता चाहिए ताकि प्रार्थीगण अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थीगण इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में जवाव के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने झुठे तथ्ये पेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीया व प्रार्थीया से पूर्व के खातेदार चारोली आदि अपनी जमीन पर ख. नं. 195 व 196 की मेर पर से आते जाते रहे है और ख. नं. 195 व 196 के खातेदार प्रार्थीयागण के पारिवारिक सदस्य व भाईबंध है उनकी भूमि से रास्ता न लेकर अप्रार्थी संख्या 1 को हेरान व परेशान करने व जोत को नुकसान कारित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है और अप्रार्थी संख्या 1 बाहरी होने का फायदा उठाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र नियमानुसार नहीं होने व प्रार्थीयागण के पास आने जाने का वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं

है। रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के अन्य कोई संरचना पेड़, दीवार नही बताया है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश दस्तावेज निर्णित प्रा. पत्र संख्या 81/2022 के प्रार्थना पत्र की नकल पेश की । नकल अनुसार ख. नं. 194 रकबा 1.81 है. के लिए ख. नं. 196 एवं 197 के मध्य स्थित मेर से रास्ता मांगा गया था और प्रार्थना पत्र में यह भी लिखा है कि इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से आते जाते रहे है और उक्त भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। ख. नं. 194 की मूल खातेदार चारोली थी जिससे प्रार्थीयागण व अन्य खातेदार अमित कुमार ने खरीद कर विभाजन करवाकर लिये जिससे ख. नं. 194 से नये ख. नं. 2067/194 व ख. नं. 2066/194 बनाये गये। अब प्रार्थीयागण द्वारा ख. नं. 196 व 197 के बीच की मेर से रास्ता न मांगकर अप्रार्थीया के ख. नं. 197 में से ही अपने कृषि कार्य के लिए आना जाना बताकर रास्ता चाह रही है।

उक्तानुसार तथ्यो का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि जब मूल ख. नं. 194 के खातेदार ख. नं. 196 व 197 के मध्य स्थित मेर से आते जाते रहे है । अर्थात यह प्रचलन का रास्ता रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मंशा भी यही है कि वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता है तो वैकल्पिक रास्ते को ही प्रभावित खातेदार काश्तकार चौड़ा करवा सकता है या राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवा सकता है। ख. नं. 194 से बने नये ख. नं. 2067/194 के खातेदार प्रार्थीयागण यह कहते हुए रास्ता चाहती है कि हम ख. नं. 197 से आते जाते रहे है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायालय हाजा से निस्तारित पूर्व प्रार्थना पत्र संख्या 81/2022 में यह तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि प्रार्थना पत्र में प्रचलन का रास्ता ख. नं. 196 व 197 के मध्य की मेड़ से बताया गया है। प्रार्थीयागण ख. नं. 197 के खातेदार से 30 फीट का रास्ता चाहती है, जो न्यायोचित व नियमानुरूप नहीं है।

अतः प्रार्थीयागण के आने जाने के लिए प्रचलन के रास्ते से रास्ता मांगकर एक खातेदार विशेष की खातेदारी से 30 फीट चौड़ा रास्ता दिया जाना न्यायोचित न होने से प्रार्थना होने खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 21.05.2024 को सुनाया गया।

21/5/24

उपखण्ड अधिकारी

देवली